रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1289] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2016/ज्येष्ठ 4, 1938
No. 1289] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/JYAISTHA 4, 1938

## कोयला मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

**का.आ. 1875 (अ).-** केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 21 मार्च,2016 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा का.आ. संख्यांक 1169(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) और भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिये रजामंद हैं ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है, कि उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, 21 मार्च, 2016 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् -

(1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मंदों की बाबत् किए गए संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ;

(2) सरकारी कम्पनी द्वारा शर्त (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और ऐसे किसी अधिकरण और अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाऐंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपीलें आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत् उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाऐंगे ;

(3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारें में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;

(4) सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ; और

(5) सरकारी कंपनी, ऐसे निर्देशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा,जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

[ फा. सं. 43015/14/2015-पीआरआईडब्ल्यू-I ]

आर. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COAL**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th May, 2016

**S.O. 1875(E).—**Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 1169 (E), dated the 18th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st March, 2016, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all the rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) are vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Central Coalfields Limited, Ranchi (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that all the rights in or over the said land so vested, shall, with effect from the 21st March, 2016, instead of continuing to so vest in the Central Government shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(1) The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages, and the like, as determined under the provisions of the said Act;

(2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the said Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the said Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government Company;

(3) The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the aforesaid rights in or over the said land so vested;

(4) The Government Company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said land so vested, to any other person without the prior approval of the Central Government; and

(5) The Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land as and when necessary.

[F. No. 43015/14/2015- PRIW-I]

R. K. SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.